न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 60/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/265

अनवान्

1. श्रीमती रतनकुंवर पत्नी बाघसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तहसील मावली।

..............प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती कमलाकुंवर पिता किशनसिंह पत्नी नाहरसिंह चुण्डावत, राजपूत निवासी राजुराव श्रीनाथ कॉलोनी तेलियों का तालाब रोड फौजी साहब के मकान के पास, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
2. श्रीमती नारायणकुंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत निवासी राजुराव श्रीनाथ कॉलोनी तेलियों का तालाब रोड फौजी साहब के मकान के पास, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
3. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीया।

2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.01.2026

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की आराजी नम्बर 703, 704, 705, 706, 707 किता 5 कुल रकबा 0.2510 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 2 प्रत्येक के नाम पर 1/20 हिस्सा दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 705 रकबा 0.0890 हेक्टेयर (11 बिस्वा) में श्री किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी राजपूत निवासी बांसलिया जो विपक्षी संख्या 1 के पिता व विपक्षी संख्या 2 के पति है का उक्त आराजीयात में निहित सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् आराजी संख्या 705 का 1/10 वां हिस्सा मुझ प्रार्थीया द्वारा श्री किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी राजपूत निवासी बांसलिया के जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

20.12.2011 को खरीदी गई तब से लेकर आज तक मुझ प्रार्थीया द्वारा मेरे परिवार द्वारा उक्त भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि के आराजी संख्या 705 के 1/10वां हिस्सा की रजिस्ट्री करवाने के पश्चात् मुझ प्रार्थीया द्वारा विधिक जानकारी नहीं होने से व अनपढ गांव की महिला होने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण मुझ प्रार्थीया द्वारा अपने नाम नहीं करवाया गया, जिससे मुझ प्रार्थीया के द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् भी मेरे नाम दर्ज नहीं हो सकी एवं विक्रेता किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी का देहावसान हो जाने से उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी के वारिसों विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम हो गया। मैं प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला होने से विधिक जानकारी के अभाव में राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरण नहीं खोलने की जानकारी मुझ प्रार्थीया को नहीं हो पाई एवं उक्त भूमि का नामान्तरण विपक्षीगणों के नाम हो जाने की जानकारी भी मुझे नहीं हो पाई। मैं प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि को खरीदने के पश्चात् से ही कब्जे काश्त होकर उक्त भूमि पर उपज कर अपने परिवार का गुजारा भरण पोषण कर रही हूं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के आराजी संख्या 705 पर मुझ प्रार्थीया का मौके पर कब्जा होने एवं उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 के अनुसार, उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 2 के बजाय मुझ प्रार्थीया को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराई जानी आवश्यक है, इसलिए मुझ प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि मुझ प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में आराजी संख्या 705 में से 1/10 वां हिस्सा जो कि मुझ प्रार्थीया द्वारा किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 को क्रय किया था जो कि मुझ प्रार्थीया को विधिक जानकारी नहीं होने से एवं किशनसिंह पिता तख्तसिंह जी की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम पर नामान्तरण दर्ज करवा दिया गया। मुझ प्रार्थीयां के पास उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने से एवं मैं प्रार्थीया उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही हूं, जिससे सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में है। मैं प्रार्थीया विक्रय पत्र अनुसार उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में कब्जे काश्त होकर विक्रय पत्र अनुसार आराजी संख्या 705 के 1/10 वें हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही हुं एवं विधिक रूप से मुझ प्रार्थीया का उक्त भूमि पर विक्रय पत्र अनुसार आराजी संख्या 705 के 1/10 वां हिस्सा होने से एवं नामान्तरण विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

हो जाने से मुझ प्रार्थीया को जो क्षति हो रही उसका मूल्यांकन पैसों में किया जाना असंभव है और मुझ प्रार्थीया के नाम पर उक्त भूमि का नामान्तरण होने एवं आराजी संख्या 705 की 1/10 वें हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित होने से विपक्षगण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.05.2025 को पैदा हुआ जब विपक्षीगण मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से कब्जे से बेदखल करने आये और मुझ प्रार्थीया ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें तथा विपक्षी संख्या 3 एवं 4 को पाबंद किया जाये कि ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे व विपक्षी संख्या 5 ताफैसला मूल वाद दस्तावेजों का पंजीयन नहीं करें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत करने का कथन स्वीकार है लेकिन प्रार्थीया का उक्त वाद गलत, मिथ्या, मनगढन्त एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया को उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थीया का उक्त वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा। मैं विपक्षीयां अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसमें प्रार्थीया का कोई हक अधिकार या सरोकार नहीं रहा हैं। मेरे पिता द्वारा कभी कोई भूमि प्रार्थीया को विक्रय नहीं की गई है और न ही मेरे पिता को उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने का ही कोई अधिकार प्राप्त था क्योंकि उक्त भूमी मेरी पैतृक सम्पति है जो पूर्व की राजस्व जमाबन्दीयों में हमारे मौरूस अर्थात् मेरे दादाजी के नाम पर दर्ज थी तथा मेरे दादाजी के निधनोपरान्त उनके नाम दर्ज भूमि हिस्सेनुसार विरासत के नामान्तरकरण के जरिए मेरे पिता के नाम पर विरासत से अंकित हुई हैं जिससे वाद वर्णित कृषि भूमियां हमारी पैतृक सम्पति होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मुझ विपक्षीया को इसमें जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हैं। इस आराजी भूमि में मुझ विपक्षीयां का हिस्सा निहित है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

और वर्तमान में मेरे नाम पर खातेदारी से भूमि दर्ज है और कानूनी तौर पर मेरे पिता को अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय अथवा हस्तान्तरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं था जिस कारण प्रार्थीयां के पक्ष में मेरे पिता द्वारा जो नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कराया है वह नुमाईशी होकर मेरे हक अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शून्य निष्प्रभावी हैं। मेरे पिता द्वारा प्रार्थीयां के पक्ष में निष्पादित किये नुमाईशी विक्रय पत्र में कब्जा सुपुर्द करने का भी मिथ्या कथन अंकित किया हैं।

7. यह कि उक्त भूमि मेरी पैतृक है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् इसमें मेरा जन्म से ही अधिकार निहित है जिससे मेरे पिता को इस आराजी में उनके नाम अंकित कुलिया हक हिस्सा को किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त हस्तान्तरण अवैध होकर मेरे मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन हैं। मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है वह विधिवत् होकर सही हैं। प्रार्थीया चतुर व चालाक महिला है जिसने मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त यह प्रकरण किया है जिससे प्रार्थीया की मंशा एवं नियत स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाती है और प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन संदेहास्पद हैं। प्रार्थीया का मेरे हिस्से की भूमि पर कोई हक अधिकार कब्जा कुछ भी नहीं रहा है। प्रार्थीया ने सभी कथन मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। प्रार्थीया का मेरे हक हिस्से की भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा हैं। प्रार्थीया मेरे पिता से जमीन खरीदना बता रही हैं जबकि प्रार्थीया ने मेरे पिता के जीवनकाल में कभी भी कोई कार्यवाही नहीं कराई और मेरे पिता की मृत्यु का इन्तजार करती रही है तथा मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त इस तरह के कथन करके यह मिथ्या दावा न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं। प्रार्थीया का न तो प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में हैं क्योंकि उक्त भूमि मेरी पैतृक है और वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मेरे नाम पर हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज है तथा मैं विपक्षी अपने हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूं। प्रार्थीया द्वारा बताया गया दस्तावेज नुमाईशी है जो मेरे हक अधिकारों के मुकाबले कोई प्रभाव नहीं रखता है तथा इस नुमाईशी दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया पैतृक सम्पति में निहित मेरे हक अधिकारों को चुनौती देने का भी कोई अधिकार नहीं रखती है। इस आराजी में निहित मेरे हक अधिकारों की हद तक प्रार्थीया कोई भी दाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है। प्रार्थीया ने केवल मात्र मिथ्या मुकदमा करने की गरज से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण बता कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज होगा। प्रार्थीया को मुझ विपक्षीयां के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 3 से 5 प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन हैं। धारा 80 जा.दी. के नोटिस की बाध्यता से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को कोई छूट नहीं दी गई हैं ऐसी अवस्था में भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खाजिर होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

9. **विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन** किया कि मैं विपक्षीया अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसमें प्रार्थीया का कोई हक अधिकार या सरोकार नहीं रहा हैं। मेरे पति द्वारा कभी कोई भूमि प्रार्थीया को विक्रय नहीं की गई है। उक्त भूमि पैतृक है जो पहले मेरे दादीया ससुर जी के नाम अंकित थी जिनके निधनोपरान्त हिस्सेनुसार विरासत के नामान्तरकरण के जरिए मेरे पति के नाम पर विरासत से अंकित हुई है तथा मेरे पति के निधनोपरान्त विरासत से मेरे एवं अन्य वारिस के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई है और वर्तमान में मैं विपक्षीयां उक्त भूमि की खातेदार हूं और अपने हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं। मौके पर कब्जा हम वारिसानों का ही हैं। प्रार्थीया का कथित आराजी पर कब्जा नहीं हैं। उक्त भूमि पैतृक है। हमारे परिवार का गुजर बसर इन्ही भूमियों पर उपजने वाली पैदावार से प्राप्त होने वाली आय से होता है जिससे मेरे पिता को इस आराजी में उनके नाम अंकित कुलिया हक हिस्सा को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त हस्तान्तरण अवैध होकर मेरे मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन हैं। मेरे पति की मृत्यु उपरान्त विरासत से जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है वह विधिवत होकर सही हैं। प्रार्थीया चतुर व चालाक महिला है जिसने मेरे पति की मृत्यु उपरान्त यह प्रकरण किया है जिससे प्रार्थीया की मंशा एवं नियत स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाती है और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन संदेहास्पद हैं। प्रार्थीया ने सभी कथन मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं।

10. यह कि प्रार्थीया मेरे पति से जमीन खरीदना बता रही है जबकि प्रार्थीया ने मेरे पिता के जीवनकाल में कभी भी कोई कार्यवाही नहीं कराई और मेरे पति की मृत्यु का इन्तजार करती रही है तथा मेरे पति की मृत्यु उपरान्त इस तरह के कथन करके यह मिथ्या दावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं। प्रार्थीया का न तो प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमि पैतृक है और वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मेरे नाम पर हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज है तथा मैं विपक्षीयां अपने हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूं। प्रार्थीया कथित विक्रय पत्र के आधार पर मेरे खातेदारी अधिकारों की चुनौती देने की अधिकारीणी नहीं हैं। इस आराजी में निहित मेरे हक अधिकारों की हद तक प्रार्थीया कोई भी दाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ हैं। प्रार्थीया ने केवल मात्र मिथ्या मुकदमा करने की गरज से मनगढन्त प्रार्थना पत्र कारण बता कर यह दावा किया हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज होगा। विपक्षी संख्या 3 से 5 प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन हैं। धारा 80 जा.दी. के नोटिस की बाध्यता से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को कोई छूट नहीं दी गई है ऐसी अवस्था में भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :—

1. *प्रथम दृष्टया मामला*— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

का कथन है कि वादग्रस्त भूमि में से आराजी नम्बर 705 का 1/10वें हिस्से को प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता/पति से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 से क्रय की गई थी। इसलिए प्रार्थीया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि के आराजी नम्बर 705 में से 1/10 वां हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 705 वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं जो पूर्व में विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता/पति किशनसिंह पिता तख्तसिंह के नाम 1/10 हिस्सेनुसार दर्ज थी। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर 705 के खातेदार किशनसिंह पिता तख्तसिंह के नाम दर्ज 1/10वें हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 से क्रय किया गया परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 705 खातेदार किशनसिंह के नाम ही दर्ज चली आ रही थी एवं तत्पश्चात् किशनसिंह के फौत होने पर आराजी नम्बर 705 में 1/10 हिस्सा विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम संयुक्त रूप से विरासत के आधार पर दर्ज हो गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 705 में से 1/10 हिस्सा विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द–बुर्द, विक्रय, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *<u>सुविधा का संतुलन–</u>* प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 705 वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 705 में से 1/10 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 से विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस खातेदार किशनसिंह से क्रय करने से अपने नाम दर्ज करवाना चाहती है। इस कारण यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया अपने पक्ष में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

साबित कराने में सफल रही हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 तथा अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस से भूमि क्रय करना बताकर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देता है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा बासंलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 705 रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2011 के आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 705 का 1/10 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाना चाहती हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 के मौरूस द्वारा कभी विक्रय नहीं की गई थी इसलिए प्रार्थीया, विपक्षी संख्या 1, 2 के विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं हैं।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 26.05.2025 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक आंशिक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1, 2 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा बांसलिया पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 256 पर दर्ज आराजी नम्बर 705 रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त आदेश अन्य सहखातेदारान पर प्रभावी नहीं होगा साथ ही तहसीलदार मावली को भी आदेशित किया जाता है कि अन्य सहखातेदार के किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दर्भ में नहीं रोकें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:37:36 IST
Reason: SelfAttested